# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 3839/2024**

बजरंग लाल **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, चूरू (राज.)।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ढाणीमाना तारानगर, जिला चूरू (राज.)।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 11.12.2024
**आदेश की दिनांक** : 17.12.2024

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री राम प्रताप सैनी, अभिभाषक

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**चेतन राम देवडा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय हिंदी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ढाणीमाना तारानगर, चूरू में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गाजूवास, तारानगर, चूरू पदस्थापित किया गया है। आदेश दिनांक 14.11.2024 के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष घोषित करते हुये उसे स्थानांतरित किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग/विकलांग कार्मिक है। फिर भी उसका स्थानान्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय हिंदी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ढाणीमाना तारानगर, चूरू में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गाजूवास, तारानगर, चूरू पदस्थापित किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को पदस्थापित/स्थानांतरण किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी के विकलांग प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग/विकलांग है और ऐसी स्थिति में हम मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है एवं अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण होने तक वहीं पर कार्यरत रखा जावे, जहां चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**